प्रकरण संख्या :—01/2017

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन निरीक्षक .... प्रार्थी

बनाम

अंकित झाम पुत्र श्री मदनलाल झाम मार्फत मदन साईकिल एण्ड लाईट पावर हाउस रोड रेल्वे स्टेशन के पास दुकान नम्बर 263—264 श्री गंगानर .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

।। निर्णय ।। दिनांकः— 05/5/17

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त इस्तगासा पेश किया गया कि दिनांक 14.03.17 को सांयः 12.50 बजे मैं सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक हमराह श्रीमति राजकंवर एवं पूजा अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार पॉवर हाउस रोड़, रेलवे स्टेशन के पास, श्रीगंगानगर स्थिति मैसर्स मदन साईकिल एण्ड लाईट हाउस पर पहुंचे। मौके उक्त दुकान खुली पाई गई एवं दुकान पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा अपना नाम अंकित झाम जाति अरोड़ा निवासी 49, मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर होना बताया गया । उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया तथा दुकान पर साईकिल रिपेयर व गैस चूल्हें की मरम्मत का कार्य करना बताया गया। मौके पर उक्त दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में तीन घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर जिसमें दो सिलेण्डर एचपीसीएल कंपनी व एक सिलेण्डर आईओसीएल कंपनी के मिले। इसके अतिरिक्त दुकान में से वक्त जांच 4 बांसुरी जिनका प्रयोग गैस सिलेण्डर रिफिलिंग में किया जाता भी प्राप्त हुई जिनके बारे में दुकानदार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब जांच दल को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जिससे स्पष्ट भी होता है दुकानदार द्वारा शिकायत अनुसार अवैध गैस रिफिल करने का कार्य किया जाता है। उक्त तीनो गैस सिलेण्डर वजह सबूत जरिये फर्द मौका सीज किया जाकर श्री मयक चढ्ढा पुत्र श्री अजय चढ्ढा आयु 26 वर्ष जाति खत्री मैसर्स गंगानगर गैस एजेंसी(बीपीसी) श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में सुपुर्दगीनामा तैयार करके दिया गया तथा बरामद 4 बासंरियों को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों की अवहेलना की है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस क्रमांक 518 दिनांक 31.03.2017 साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया लेकिन अप्रार्थी स्वयं पर तामील के पश्चात भी नियत तिथि 24.07.2017 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विभागीय पैरोकार को सुना गया। विभागीय पैरोकार का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस की अवैध रिफिलिंग व काला बाजारी की गई है जो प्रमाणित है। अतः सीजशुदा गैर सिलेण्डर व बांसुरियां राजसात की जावें।

पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। दिनांक 14.03.2017 को प्रवर्तन अधिकारी मय टीम शिकायत प्राप्त होने पर पावर हाउस रोड स्थित मदन साईकिल एण्ड लाईट हाउस पहुंचे। मौके पर दुकान में तीन घरेलु अनुदानित सिलेण्डर मिले व दुकान में बरवक्त जांच 4 बांसुरी जिनका प्रयोग गैस सिलेण्डर रिफिलिंग में किया जाता है। दुकानदार द्वारा इस संबंध में कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फर्द जब्ती रिपोर्ट रोबरू गवाहान तैयार कर हस्ताक्षरित की गई है।

स्पष्ट है कि गैर सायल अंकित झाम द्वारा अनुदानित घरेलु गैस की अवैध रिफिलिंग व कालाबाजारी कर LPG(REGULATION OF SUPLY AND DISTRIBUTION)ORDER 2000 3(1)(C), 7(1)(C) की अवहेलना की है। अप्रार्थी द्वारा अपनी सफाई में उपस्थित होकर कुछ भी नहीं कहा है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत 03 घरेलु गैस सिलेण्डर व 04 बांसुरियां राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी नियमानुसार उक्त राजसात किये गये सिलेण्डरों व बांसरियों को रातसात करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर